अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले स्टेज अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) के लिए बुलाया जाएगा, जो पी.ई.टी. और पी.एस.टी. में उत्तीर्ण होंगे। उम्मीदवार की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच, दस्तावेज सत्यापन(डी.वी.)/विस्तृत चिकित्सा परीक्षण(डी.एम.ई.) के समय की जाएगी। इसलिए, ट्रेड टेस्ट और डी.एम.ई./आर.एम.ई. में शामिल होने से पहले, समय-समय पर इस नोटिस में बताए गए अनुसार अपनी पात्रता की जांच करना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी।

v) भूतपूर्व सैनिकों (ई.एस.एम.) के लिए पी.ई.टी./पी.एस.टी. परीक्षा में पूर्ण छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए पी.ई.टी. आयोजित नहीं किया जाएगा, तथापि भूतपूर्व सैनिकों को केवल लंबाई, सीना और वजन की माप दर्ज कराने के लिए पी.एस.टी. में उपस्थित होना होगा। **हालांकि, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.), ट्रेड/स्किल टेस्ट और चिकित्सा जांच में उत्तीर्ण होना होगा।**

vi) **कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.):**

(क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार से होगी :

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि / अनुमत समय
ए	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति	25	25	02 घंटे
बी	सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता	25	25	
सी	सामान्य गणित	25	25	
डी	अंग्रेजी/हिंदी	25	25	

(ख) सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आयोजित की जाएगी।

(ग) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.25 अंकों की नकारात्मक अंकन होगा**। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।

(घ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) की तिथि और केंद्र के बारे में अभ्यर्थियों को केवल के0रि0पु0 बल की वेबसाइट के माध्यम से जारी प्रवेश पत्र के द्वारा सूचित किया जाएगा।

(ङ) प्राप्त अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(च) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का सामान्यकरण किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता सूची और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

(छ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) में प्रश्न मैट्रिक स्तर के होंगे।

(ज) अभ्यर्थियों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर इन्हें नहीं लाने दिया जाएगा।

(झ) **परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:**

1) **<u>सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति:</u>** विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और पहचान करने की क्षमता का परीक्षण मुख्य रूप से गैर-मौखिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में समरूपता, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्यता, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय

संख्या श्रृंखला, गैर-मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आदि पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं।

2) **<u>सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता</u>** : इस भाग में प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता की परीक्षा लेना है। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्न उम्मीदवार की अपने परिवेश के प्रति सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के उद्देश्य से होंगे, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि इनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

3) **<u>प्रारंभिक गणित</u>** : इस प्रश्न पत्र में नंबर सिस्टम से संबंधित समस्याओं, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्नों तथा संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

4) **<u>अंग्रेजी/हिंदी</u>** : अभ्यर्थी की बुनियादी अंग्रेजी/हिंदी समझने की क्षमता और उसकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा।

vii) **ट्रेड परीक्षा :**

(क) सी0बी0टी0 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समूह में से अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

(ख) ट्रेड/दक्षता टेस्ट, प्रयोगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और इसकी प्रकृति सिर्फ अर्हता प्राप्त करने के लिए होगी। 50 अंकों के प्रयोगात्मक ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त करने होंगे।

(ग) ट्रेड टेस्ट के दौरान, अभ्यर्थी को उस विशेष ट्रेड/पद से संबंधित किसी गतिविधि को करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है/आवेदन किया है। प्रत्येक ट्रेड/पद के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

i	चालक	ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान। हल्के और भारी वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव ।
ii	वाहन मोटर मेकेनिक	ऑटोमोबाइल फिटर/मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान। औजारों का उपयोग इत्यादि।
iii	बिगुलर	बिगुल बजाना, संभालना और इसका रखरखाव करना।
iv	दर्जी	व्यक्तियों की माप लेना, टेरी कॉटन वर्दी/सिविल कपड़ों को काटना/सिलाई करना। गर्म कपड़े/वर्दी इत्यादि की कटिंग/सिलाई करना।
v	मोची	अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना, औजारों को इस्तेमाल, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत और सिलाई करना। नए जूते बनाना।
vi	बढ़ई	औजारों को उपयोग, लकड़ी काटना, फिटिंग, सामान की पॉलिश और फिनिशिंग करना, दरवाजों और खिड़कियों को फिटिंग करने का ज्ञान/ खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने का ज्ञान। लकड़ी के बक्से, रैक और लकड़ी का डिब्बा (टिंबर ट्रस) बनाने में सक्षम।
vii	पेंटर	रंगों, पेंट्स, शेड्स, साइन बोर्ड की पेंटिंग, पेंटिंग और ड्राइंग/मोटर वाहन इत्यादि की स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान, विभिन्न पेंट्स/डिस्टेंपरिंग को मिलाकर कलर स्कीम का का ज्ञान। बैनरों और बोर्डों पर साफ-साफ अक्षर लिखने में सक्षम। वुड पेंटिंग और सीजीआई शीट पेंटिंग के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का पता लगाने में सक्षमता।

viii	माली	पौधारोपण का ज्ञान, पौधों का रखरखाव, बीजों तथा उनके मौसम का ज्ञान, उर्वरकों और खाद की जानकारी।
ix	ब्रास बैंड	ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान।
x	पाइप बैंड	पाइप बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान।
xi	रसोइया	100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल/ सब्जी/ दाल/ सांभर/इडली इत्यादि बनाना, मीट/मछली/अंडा/खीर बनाने का ज्ञान।
xii	जलवाहक	बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना तथा सब्जी इत्यादि काटना।
xiii	नाई / हेयर ड्रेसर(महिला)	नाई के लिए औजारों का उपयोग, नाई (पुरूष) के लिए पुरुषों के बाल काटना और शेविंग करना तथा हेयर ड्रेसर (महिला) के लिए औजारों का उपयोग, महिलाओं के बाल काटने की जानकारी।
xiv	धोबी(पुरूष/ महिला)	कपड़ों की धुलाई, खाकी सूती वर्दी, ऊनी और टेरिकॉटन वर्दी की इस्त्री।
xv	सफाई कर्मचारी	फर्श, खुले क्षेत्र में झाडू लगाना और शौचालयों, बाथरूम इत्यादि की सफाई करना।
xvi	राज-मिस्त्री (पायनियर)	राज-मिस्त्री(मैसन) के काम का ज्ञान, उपकरणों की हैंडलिंग, सीमेंट का मिश्रण, विशिष्ट निर्माण के लिए दीवार/पिलर के क्षेत्र की गणना का ज्ञान।
xvii	इलेक्ट्रीशियन (पायनियर)	बिजली के काम का ज्ञान। एम.सी.बी. की फिटिंग, प्लग / बल्ब / ट्यूबलाइट / होल्डर्स की फिटिंग,11000 वोल्ट और 440 वोल्ट की सप्लाई, अर्थिंग पैनल तैयार करना, जेनरेटर सेट की फिटिंग। तांबे और एल्यूमीनियम तार के प्रयोग की जानकारी।

viii) **दस्तावेज़ सत्यापन** :

(क) पी.ई.टी./पी.एस.टी., सी.बी.टी.**,** और ट्रेड/ कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के समूह में से दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अभ्यर्थी चुने जाएंगे।

(ख) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करते समय मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लेकर आएं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय, निम्नलिखित दस्तावेज़ों का फिजिकल सत्यापन किया जाएगा :

1) आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए मैट्रिक/ माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र ।

2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पी.आर.सी.)।

3) नोटिस के संलग्नक-II में निर्धारित प्रारूप में सेवारत रक्षा कार्मिकों से प्रमाण पत्र।

4) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से संलग्नक-III में निर्धारित प्रारूप में वचनबद्धता (अंडरटेकिंग)।

5) आरक्षण / आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों से नोटिस के संलग्नक -IV, संलग्नक-V और संलग्नक-VII में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यथा लागू)।

6) लंबाई / सीने की माप में छूट पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से नोटिस के संलग्नक-VI में निर्धारित प्रमाण पत्र।

7) नोटिस के पैरा 7.3 के अंतर्गत श्रेणी क्रम संख्या 04, 05 एवं 06 में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र ।

8) सिपाही/चालक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ड्राइविंग लाइसेंस।

9) सिपाही/एम.एम.वी. (फिटर) पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आई.टी.आई. प्रमाणपत्र एवं अनुभव प्रमाणपत्र।

ix) **विस्तृत चिकित्सा जांच (डी.एम.ई.) :**

(क) चुने गए (शॉर्टलिस्ट किए गए) अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सकीय फिटनेस का आकलन करने के लिए के0रि0पु0 बल द्वारा गठित चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सीय बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, सी0ए0पी0एफ0 और असम राइफल में राजपत्रित अधिकारी और गैर-राजपत्रित अधिकारी की भर्ती के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20/05/2015 के यूओ संख्या ए.छः-1/2014-भर्ती (एसएसबी), गृह मंत्रालय के दिनांक 31/05/2021 के का.ज्ञा. सं. ई.32012/एडीजी (चिकित्सा)/ डीएमई /आरएमई /डीए-1/2020 (भाग फाइल)/1166 एवं दिनांक 09/03/2026 के कार्यालय ज्ञापन सं0 45020/ 03/2025-पीपी/28 के तहत जारी दिशा-निर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(ख) चिकित्सा परीक्षण (एक्स-रे और प्रयोगशाला) केवल उन अभ्यर्थियों का किया जाएगा, जो प्रारंभिक चिकित्सा जांच के बाद फिट पाए जाते हैं।

(ग) चिकित्सा परीक्षण के मामले में, "अस्थायी अयोग्यता" की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षणों के परिणामस्वरूप गर्भवती पाई जाती है, भले ही गर्भावस्था की अवधि कितनी भी हो, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति तब तक रोकी जाएगी जब तक कि प्रसूति नहीं हो जाती। जिस पद के लिए महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया है, वह उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसूति की तारीख के छह सप्ताह बाद पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दिए गए फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पुन: विस्तृत चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। यदि वह फिट पाई जाती है तो उसे आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर सरकार के संशोधित निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा।

(घ) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डी.एम.ई.) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को पुनरीक्षण चिकित्सा जाँच (आर.एम.ई.) की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे अनुलग्नक-VIII के अनुसार अयोग्य होने के कारणों को दर्शाते हुए इसकी सूचना लिखित रूप में सहमति अपने हस्ताक्षर करके दें। अभ्यर्थियों का पुनरीक्षण चिकित्सीय परीक्षण (आर.एम.ई.), विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण (डी.एम.ई.) के क्रम में, यथासंभव डी.एम.ई. के अगले दिन आयोजित किया जाएगा। डी.एम.ई. में उनकी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के बाद भारत सरकार/गृह मंत्रालय के दिनांक 31/05/2021 के का. ज्ञा. फा. सं.- ई. 32012/एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई व आरएमई/डीए-1/2020-(भाग-फ़ाइल)/1166 के अनुसार आर.एम.ई. के लिए सहमति अनुलग्नक-VIII में अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके शीघ्र प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ङ) पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड निर्देशानुसार विशेष रूप से उस कमी के लिए अभ्यर्थी की जांच करेगा जिसके लिए डी.एम.ई. के दौरान अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया गया है।

(च) यदि अभ्यर्थी आर.एम.ई. में फिट पाया जाता है, तो उसका नाम अंतिम योग्यता सूची /परिणाम तैयार करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट अभ्यर्थी के डेटा /सूची में शामिल किया जाएगा।

x) **नेत्र परीक्षण** :

सिपाही (चालक) के लिए नेत्र दृष्टि	रंग बोध (कलर परसेप्सन) मानक सीपी-II होना चाहिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नए चिकित्सा दिशा-निर्देशों में निहित है:		
	बिना किसी सहायता के दृश्यता तीक्षणता (निकट दृष्टि)	बेहतर आँख	एन6
		खराब आँख	एन9
		बेहतर आँख	6/6

	बिना सुधार की गई दृश्यता तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	खराब आँख	6/9
	अपवर्तन (Refrection)	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार, यहां तक कि चश्में द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं है।	
	वर्णांधता (Color Vision)	इशिहारा (ISIHARA) द्वारा सीपी II	
	अभ्युक्ति	बाईनोकुलर (Binocular) दृष्टि अपेक्षित है।	
सिपाही (एम.एम.वी.) के लिए नेत्र दृष्टि	रंग बोध (कलर परसेप्सन) मानक CP-III होना चाहिए जैसा कि निम्नलिखित विवरणों सहित वर्ष 2015 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए चिकित्सा दिशा-निर्देशों में निहित है:-		
	बिना किसी सहायता के दृश्यता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आँख	एन6
		खराब आँख	एन9
	बिना सुधार की गई दृश्यता तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आँख	6/6
		खराब आँख	6/9
	अपवर्तन (Refrection)	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार, यहां तक कि चश्में द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं है।	
	वर्णांधता (Color Vision)	इशिहारा (ISIHARA) द्वारा सीपी III	
	अभ्युक्ति	दाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, दायीं आँख बेहतर आँख और बाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, बायीं आँख बेहतर आँख होती है। बाईनोकुलर (Binocular) दृष्टि अपेक्षित है।	
सिपाही (चालक) व सिपाही (एमएमवी) को छोड़कर अन्य सभी पदों/ ट्रेडों के लिए आँखों की दृष्टि	रंग बोध (कलर परसेप्सन) मानक सीपी-IV होना चाहिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नए चिकित्सा दिशा-निर्देशों में निहित है:		
	बिना किसी सहायता के दृश्यता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आँख	एन6
		खराब आँख	एन9
	बिना सुधार की गई दृश्यता तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आँख	6/6
		खराब आँख	6/9
	अपवर्तन (Refrection)	➢ दूर दृष्टि हेतु किसी भी प्रकार के दृष्टि सुधार की अनुमति नहीं है। ➢ केवल निकट दृष्टि के लिए चश्में के साथ पढ़ने के योग्य होना चाहिए।	
	वर्णांधता (Color Vision)	इशिहारा (ISIHARA) द्वारा सीपी IV	
	अभ्युक्ति	➢ दाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, दायीं आँख बेहतर आँख और बाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, बायीं आँख बेहतर आँख होता है। ➢ बाईनोकुलर (Binocular) दृष्टि अपेक्षित है। न्यूनतम रंग बोध के तहत लाल और हरे रंगों की पहचान अपेक्षित है।	

xi) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए न हो, चपटे तलवे, वैरिकोज़ वेन या भेंगी आँखें न हों। उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो ताकि ऊंचे पर्वतीय इलाकों तथा सीमा क्षेत्रों में जहां पर अत्यधिक खराब मौसम रहता है, वहां पर ड्यूटी कर सके तथा कुशलतापूर्वक ड्यूटियों के निर्वहन में बाधा डालने की संभावना वाले किसी भी दोष से मुक्त होना चाहिए।

16. परीक्षा में प्रवेश :

i) सभी अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि तथा समय तक इस विज्ञापन के प्रतिउत्तर में स्वयं को पंजीकृत करते हैं एवं जिनके आवेदन सही पाए जाते हैं और परीक्षा की इस सूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार अस्थाई रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें रोल नंबर दिए जाएंगे और पी.ई.टी./पी.एस.टी. में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।